

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1.	परियोजना विवरण :-	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	गेवरा ओपन कास्ट परियोजना का विस्तार 52.5 MTA से 70 MTA के लिये जा रहे हैं जिसके लिये राजस्व वनभूमि 94.293 हे. की आवश्यकता है।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	Rs. 1181640.00 Lac
(iv)	वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	राजस्व वनक्षेत्र में 94.293 हे. के अंतर्गत कोयले का भण्डार है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	गेवरा ओपन परियोजना हेतु लगभग 4391 रोजगार दिया जाएगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।	राजस्व वनभूमि गेवरा - 81.380 हे. खोडरी - 12.913 हे. कुल - 94.293 हे.
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	संलग्न है।
(i)	परिवार की संख्या।	3376
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	अनुसूचित जनजाति 4639 जनजाति 9633
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	हां
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार	संलग्न है।

	की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	
6.	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों क/दस्तावेजो की ब्यौरा।	संलग्न है।

तिथि:—

स्थान:—


 मेधा प्रियदर्शन
 General Manager
 एस.डी.सी.एल. मेवासा क्षेत्र
 जिला: कोरबा (छ.ग.)